बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ, आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

विषयः– बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक सरंचना के पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार राज्य खाद्य निगम गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग(भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली–2018 की स्वीकृति के संबंध में।

खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार के संकल्प ज्ञापांक प्र03–विविध नि0–10/2016–5363 दिनांक 18.10.17 के द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम की प्रशासनिक सरंचना का पुनर्गठन किया गया है, जिसे निगम निदेशक पर्षद के मद सं0 150.9 से अनुमोदन प्राप्त है तथा निगम आदेश ज्ञापांक 11186 दिनांक 3.11.17 से निगम में प्रशासनिक सरंचना के पुनर्गठन को लागू किया गया है।

निगम में कार्यरत विभिन्न सेवा संवर्ग हेतु कोई नियमावली पूर्व से नहीं रहने के कारण, नियुक्ति,प्रोन्नति आदि संबंधी मामलों में कार्रवाई करना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम में कार्यरत विभिन्न सेवा संवर्ग हेतु सेवा संवर्ग नियमावली(Cadre Rules) का निर्माण आवश्यक हो गया है।

स्थायी स्थापना समिति द्वारा निम्न सेवा संवर्ग नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति देते हुए निदेशक पर्षद का अनुमोदन हेतु अनुशंसा किया गया है–

गुणवत्ता नियत्रंक संवर्ग(भर्ती,प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)नियमावली–2018

उपरोक्त पर निदेशक पर्षद की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निदेशक पर्षद के 152वीं बैठक दिनांक 08.03.18 के मद सं0 152.7 में अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया तदनुसार दिनांक 06.08.18 निदेशक पर्षद की 153वीं बैठक मद सं0 152.7.4 द्वारा गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग(भर्ती,प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)नियमावली–2018 का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

"Quality Control Cadre(Recruitment, Promotion and Service Rule) Rules 2018- Approved with condition that intermediate post of Assistant Manager(Quality Control) be created and approval from Govt. shall be obtained" (Annexure-IV)

तदनुसार बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग(भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त)नियमावली–2018 की स्वीकृति देते हुए दिनांक 05.09.2018 के प्रभाव से लागू किया जाता है।

अनु0–यथोक्त।

5/9/2018

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः–3:02:35:01:2018 9241 दिनांक– 05/9/18 5/09/18

प्रतिलिपि–मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति/जनवितरण/मुख्य सर्तकता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/जन सम्पर्क कोषांग/प्रबंध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय,पटना/सभी जिला प्रबंधक,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2018

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः–3:02:35:01:2018 – 9241 दिनांक– 05/9/18 5/09/18

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,बिहार/सभी जिला पदाधिकारी,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2018

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः–3:02:35:01:2018 – 9241 दिनांक– 05/9/18 5/09/18

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2018

प्रबंध निदेशक

5/09/18

5.9

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली,2018

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम अपने गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** :-(1)यह नियमावली''बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग नियमावली-2018'' कहलाएगी।
   (2)इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में होगा।
   (3)यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएं** :- जब तक कि संदर्भ में अन्यथा न हो,इस नियमावली में-
   (i) ''**राज्य सरकार**'' से अभिप्रेत है-बिहार सरकार;
   (ii) ''**नियुक्ति प्राधिकार**'' से अभिप्रेत है-प्रबंध निदेशक;
   (iii) ''**संवर्ग नियंत्री प्राधिकार**'' से अभिप्रेत है-प्रबंध निदेशक,बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम;
   (iv) ''**विभाग**'' से अभिप्रेत है-बिहार सरकार का खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग;
   (v) ''**पर्षद**'' से अभिप्रेत है-बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का निदेशक पर्षद;
   (vi) ''**प्रबंध निदेशक**'' से अभिप्रेत है-बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का प्रबंध निदेशक;
   (vii) ''**निगम**'' से अभिप्रेत है-बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम;
   (viii) ''**नियमावली**''से अभिप्रेत है-''बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग(भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें)नियमावली, 2018'';
   (ix) ''**सक्षम प्राधिकार**'' से अभिप्रेत है-निगम के प्रबंध निदेशक;
   (x) ''**संवर्ग**'' से अभिप्रेत है-बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग;
   (xi) ''**परिशिष्ट**''से अभिप्रेत है-इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट।

3. **संवर्ग संरचना एवं संवर्ग का गठन**।-(1)इस संवर्ग में निम्नांकित कोटि वेतनमान एवं पद निर्धारित होंगे:-

क्र0	कोटि का नाम	स्तर	वेतनमान	निर्धारित पदों की संख्या
1	गुणवत्ता नियंत्रक	मूल कोटि	PB-1+2400	100
2	प्रबंधक,गुण नियंत्रक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	PB-2+4600	1

1. निर्धारित स्वीकृत बल के आधार पर विभिन्न जिला एवं प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों एवं गोदामों में पदों का चिन्हिकरण संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
2. नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व से निगम में गुणवत्ता नियंत्रक एवं प्रबंधक, गुण नियंत्रक संवर्ग के कर्मी इस संवर्ग के सदस्य समझे जायेगें।

5.9.18

4. **आरक्षण** :-सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय-पर निर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

5. **संवर्ग में भर्ती**:-(1)सेवा में प्रवेश विन्दु पर गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग का पद होगा, जिस पर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर गुणानुगुण आधारित प्रक्रिया के तहत की जायेगी। निगम द्वारा आरक्षण के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना की जायेगी। आयु की अर्हता विज्ञापन वर्ष के 1ली जनवरी के आधार पर अधियाचना की जायेगी।

(2) भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता तथा भर्ती की प्रक्रिया परिशिष्ट-4 के उपबधों के अनुसार होगी। उक्त परिशिष्ट के प्रावधानों में सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकार अलग से अधिसूचना निर्गत कर समय-समय पर संशोधन कर सकेगा।

6. **परीक्ष्यमान अवधि**:- नियम 5 के तहत भर्ती किये गये गुणवत्ता नियंत्रक संवर्ग को नियुक्ति की तिथि से परीक्ष्यमान घोषित किया जायेगा। परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी, जिसे सेवा तथा कार्यकलाप संतोषजनक नहीं रहने पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त गुणवत्ता नियंत्रक को सेवामुक्त किया जा सकेगा। इस हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन नैसर्गिक न्याय के तहत स्पष्टीकरण का मौका दिया जायेगा।

7. **विभागीय परीक्षा एवं सेवा सम्पुष्टि**:-(1) परीक्ष्यमान अवधि संतोषजक रूप से पूरा करने, उत्तम आचरण, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने और विभागीय परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी,परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के विरले मामलों(Rare Case) में सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उतीर्ण करना और निर्धारित प्रशिक्षण में छूट दी जा सकेगी।

(2) विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण निगम द्वारा अलग से किया जा सकेगा।

8. **प्रशिक्षण**:-परीक्ष्यमान अवधि में प्रत्येक कर्मी को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान(बिपार्ड) वाल्मी, फुलवारीशरीफ,पटना या निगम द्वारा अन्य संस्थाओं के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

9. **वेतनवृद्धि**:-नियुक्ति के पश्चात निगम द्वारा आयोजित हिन्दी/अंग्रेजी टिप्पणी एवं प्रारूपण की परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा एवं तदोपरांत ही प्रथम एवं पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि स्वीकृत की जा सकेगी।

10. **प्रोन्नति**:-(i) इस संवर्ग के सेवा सम्पुष्ट कर्मियों की प्रोन्नति की श्रृंखला निम्नानुसार होगीः-

(क) गुणवत्ता नियंत्रक से सहायक प्रबंधक(गुणवत्ता नियंत्रक)/प्रबंधक गुण नियंत्रक।

(ii) प्रोन्नति आवश्यकता आधारित स्वीकृत पदों के अधीन योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार होगी, जो प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा विचारणीय होगी।

(iii) प्रोन्नति संबंधी कालावधि निम्न प्रकार होगीः-

क्र0	एक कोटि से दूसरे कोटि में(पदनाम के अनुसार)	कोटि वेतनमान	न्यूनतम अर्हक सेवा(कालावधि)
1	गुणवत्ता नियंत्रक से सहायक प्रबंधक(गुणवत्ता नियंत्रक)	पी0बी0-1+2400 से पी0बी0-2+4600	10 वर्ष
2	सहायक प्रबंधक(गुणवत्ता नियंत्रक) से प्रबंधक,गुण नियंत्रक		10 वर्ष

11. **वरीयताः**-गुणवत्ता नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु ली जाने वाली प्रतीयोगिता परीक्षा में मेधा आधारित अनुशंसित सूची के वरीयता क्रम से इनकी वरीयता देय/निर्धारित होगी।

12. **चारित्री एवं वार्षिक मूल्यांकनः**- प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत एक माह के अंदर कर्मी द्वारा स्व मूल्यांकन समर्पित किया जायेगा। संवर्ग में भिन्न पदों पर चारित्री एवं वार्षिक मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्राधिकार,समीक्षी प्राधिकार एवं स्वीकृति प्राधिकार निम्न प्रकार होगेंः-

क्रम संख्या	संवर्ग	चारित्री एवं वार्षिक मूल्यांकन	समीक्षी	स्वीकृति
1	गुणवत्ता नियंत्रक	जिला प्रबंधक	मुख्य महाप्रबंधक	प्रबंध निदेशक
2	सहायक प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रक)/ प्रबंधक,गुण नियंत्रक	मुख्य महाप्रबंधक	प्रबंध निदेशक	

13. इस नियमावली के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में यदि कोई भ्रम हो,तो निदेशक पर्षद द्वारा की गयी व्याख्या अंतिम होगी।

14. **विनियम बनाने की शक्तिः**- इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार निदेशक पर्षद के अनुमोदन से प्रबंध निदेशक द्वारा आदेश/परिपत्र निर्गत किया जा सकेगा।

15. **निरसन एवं व्यावृतिः**-इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से नियुक्ति से संदर्भित पूर्ववर्ती नियमावली, प्रावधान या अनुदेश निरसित समझी जायेगी। ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के तहत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी। मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

निदेशक पर्षद की दिनांक 06.08.2018 की 153वीं बैठक में मद सं0 152.7.4 द्वारा अनुमोदित।

5/9/2018
प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः-3:02:35:01:2018 9241 दिनांक- 05/9/18

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति/जनवितरण/मुख्य सतर्कता पदाधिकारी/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/जन सम्पर्क कोषांग/प्रबंध निदेशक कोषांग,निगम मुख्यालय,पटना/सभी जिला प्रबंधक,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2018
प्रबंध निदेशक

5.9.18

ज्ञापांकः-3:02:35:01:2018 9241 दिनांक- 05/9/18

प्रतिलिपि-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,बिहार/सभी जिला पदाधिकारी,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांकः-3:02:35:01:2018 9241 दिनांक-05/9/18

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट–4

[नियम 6(ii) द्रष्टव्य]

1	सम्वर्ग/पद का नाम	–	गुणवत्ता नियंत्रक
2	पदों की संख्या	–	100
3	वेतनमान	–	PB-1+ग्रेड पे–2400
4	प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजने के लिए राज्य सरकार द्वारा संस्थान/प्राधिकार नामित की गई है या की जायेगी।		
5	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु	–	न्यूनतम आयु –21 वर्ष अधिकतम आयु–अधिकतम आयु वही होगी जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
6	सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता	–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0टेक या बी0एस0सी0या बी0ई0 एग्रीकल्चरल की डिग्री उत्तीर्ण।
7	प्रशिक्षण	–	परीक्ष्यमान अवधि में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)बाल्मी,फुलवारीशरीफ,पटना द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण का विषय खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग तथा बिपार्ड से परामर्श लेकर निगम द्वारा तैयार किया जायेगा।
8	प्रोन्नति समिति	–	स्थायी स्थापना समिति ही प्रोन्नति समिति होगी जिनका स्वरूप निम्न प्रकार होगा–

(क) मुख्य महाप्रबंधक(प्रशासनिक मामले)	–	अध्यक्ष
(ख) महाप्रबंधक,सामान्य प्रशासन	–	सदस्य सचिव
(ग) महाप्रबंधक,वित्त एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
(घ) विभाग द्वारा अनु0जाति/ अनु0जनजाति नामित	–	सदस्य
(ङ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित	–	सदस्य
(च) उप महाप्रबंधक,क्रय एवं विधि	–	सदस्य

प्रोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आलोक में निदेशक पर्षद के अनुमोदनोंपरान्त प्रोन्नति दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक